कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
तृतीय तल, ब्लाक–बी–4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 5133 / त.शा. / एफ–सरकुलर–3 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015 रायपुर, दिनॉक 19 / 6 / 2015

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर

विषय :– **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि का उपयोग ''विधायक आदर्श ग्राम योजना'' में किये जाने बाबत्।**

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक– एफ 1–25 / 2015 / 34–2 / 1875 रायपुर दिनांक 07.05.2015

–––00–––

विषयांतर्गत शासन से प्राप्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन करें। शासन के पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का पत्र क्रमांक– एफ 08–21 / 2009 / 23, दिनांक 24.04.2015 में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में ''विधायक आदर्श ग्राम योजना'' के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। इस योजना में माननीय विधायकगणों द्वारा प्रदेश के 90 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रुप में चयन किया गया है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में कंडिका 1.4 अनुसार **''1.4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग विधायक आदर्श ग्राम योजनांतर्गत किया जा सकता है। इसके लिए ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र के होने का बंधन नहीं रहेगा''**

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त कंडिका बिंदु क्रमांक– 1.4 पर कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश जारी कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

19/6
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर छत्तीसगढ़

पृ0 क्रमांक 5134 / त.शा. / एफ–सरकुलर–3 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015 रायपुर, दिनॉक 19 / 6 / 2015

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर एवं (वि0 / यां0) मंडल रायपुर,
2. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड / परियोजना खंड / मेकेनिकल खंड .... की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

19/6
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

E:// Sarkular